संख्या– 1729/15–11–2013

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 07 जून, 2013

विषयः आर0के0 कालेज, गढ़ रोड, मेरठ को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम हेतु अल्पसंख्यक संस्था माने जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या राशै0/निशिसं0/6773/2013–14, दिनांक 03 जून, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आर0के0 कालेज, गढ़ रोड, मेरठ को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम–2004 की धारा–2(जी) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने विषयक निर्गत प्रमाण–पत्र के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत संस्थान आर0के0 कालेज, गढ़ रोड, मेरठ को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु अल्पसंख्यक संस्था माने जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
3– सचिव/प्रबन्धक, आर0के0 कालेज, गढ़ रोड, मेरठ।
4– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Generated by CamScanner from intsig.com